

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
कालु राध कर्षी वनाम राजेन्द्र सिंह
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 152/2025



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती कालु राध पिता श्री राम राध कर्षी निवासी- रोजड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम रोजड़ा प.ए. नम्बर (1) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 729, 730 731, 743, 744 कुल कीता 05 रकबा 1.37 है 0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम रोजड़ा प.ए. नम्बर (1) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 729, 730, 731, 743, 744 कुल कीता 05 रकबा 1.37 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000 रुपये अक्षरे 10 हजार मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्त पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सिने देव) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>